

ग्रामका० १७३६/२०१६०६९/१३-१४ दिनांक ११/१२/१२  
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), परासिया, जिला छिन्दवाडा

मुख्य प्रतिलिपि का  
जिलाधार्थ अनुसत्त्व का  
प्राप्ति संदर्भ में

रा.प्र.क्र. २६/अ-२/२००८...-२००९...  
ग्राम... मादावाड़ी ..... ब.नं.  
...३८.....  
प.ह.नं. ... १३ ..... तहसील परासिया  
जिला-छिन्दवाडा

राजेश ..... पिता सबई डे हरिया .....

निवासी डॉ इं रपरासिया ..... तहसील - परासिया

आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन .....

आदेश १२९०१-०९

1. आवेदक राजेश ..... पिता सबई डे हरिया .....  
निवासी डॉ इं रपरासिया ..... तहसील परासिया, जिला छिन्दवाडा ने एक आवेदन दिनांक ..१२.०९.२००८  
को मध्य प्रदेश भू राज्यव संहिता १९५९ की धारा १७२ के अंतर्गत प्रस्तुत कर ग्राम मादावाड़ी .....  
प.ह.नं. ... १३ ..... तहसील परासिया, जिला छिन्दवाडा स्थित भूमि खसरा क्र. ...३२२/५६ .....  
क्षेत्रफल ...०. ४०५ हेक्टर के दृष्टावसा पिक ..... प्रायोजन हेतु व्यपवर्तन का निवेदन किया गया है।  
आवेदक ने अपने आवेदन पत्र के साथ विचाराधीन भूमि का खसरा पांच साला, प्रविष्ट क्षेत्र का नवशा,  
एवं पंजीकृत कियपन्न दिनांक ...२३.०४.०७ ..... की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण पंजीयद्वं किया जा कर सम्बंधित विभागों से अभिमत तथा राजस्व निरीक्षक (व्यपवर्तन) परासिया का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

1. रहायक यंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल ..... परासिया ..... ने अपने एवं  
क्रमांक ..... १७९७ ..... दिनांक ..१७.०९.०८ ..... में उपरोक्त भूमि का व्यपवर्तन  
किये जाने में कोई आपत्ति होना नहीं बताया है।

2. सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश छिन्दवाडा ने पत्र क्रमांक ..... १८/xxx .....  
/भू-परि/ ..... xxx ..... नि.ग्रा.नि./दिनांक ..... xxx ..... में  
निम्न शर्तों के अधीन व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

- विचाराधीन भूखंड के समुख मार्ग की घोड़ाई ४०.०'' फुट निर्धारित कर मार्ग मध्य से  
२०.०'' फुट छोड़कर आपत्ति नहीं है।
- म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निवंधन तथा शर्त) नियम ९९ के  
अधीन यदि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना हो तो वह भी लेना होगी।





63

- विचाराधीन भूखंड के आसपास कोई खतरनाक औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित तो नहीं हैं।
  - रस्थानीय निकाय/संस्था/ग्राम पंचायत/~~कर्मसुकालीकाली~~ मायावद्दी से भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगी।
  - भूस्वामित्व एवं सीमा विवाद तथा पहुंच मार्ग या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निररत्त हो जायेगी।

नगर पालिका परिषद डोंगर परासिया का पुत्र क्रमांक .....xxx..... दिनांक xxx  
में उपरोक्त भूमि का व्यवर्तन किये जाने में कोई आपत्ति होना नहीं बताया गया है।

राजस्व निरीक्षक (व्यपवर्तन) परासिया ने प्रतिवेदन दिनांक 06.10.08 ... में यह व्यक्त किया है कि आवेदक की भूमि पर भवन निर्माण से सार्वजनिक स्थानस्थ एवं सुरक्षा पर कोई प्रतिक्ल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. मैंने प्रकरण का अद्योपत अवलोकन किया एवं आयेदक को सुना। प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों/ विभागों से अभिमत एवं राजस्व निरीक्षक (व्यपर्वत्तन) परासिया के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम **माझावाड़ी** ..... में स्थित भूमि खसरा नंबर ..**322/56**..... क्षेत्रफल ...**0.405** हेक्टर ..... का व्यपर्वत्तन निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाता है :-

1. आवेदक नगर पालिका परिषद, डॉगर परासिया द्वारा आरोपित शर्तों का पालन करेगा ।
  2. आवेदक इलेक्ट्रीसिटी एक्ट वर्ष 1956 के अधीन बने नियमों का पालन करेगा ।
  3. आवेदक सहायक संचालन नगर एवं ग्राम निवेश, छिन्दवाड़ा द्वारा आरोपित शर्तों का पालन करेगा ।
  4. आवेदक प्रश्नाधीन भूखण्ड के द्रुकड़े कर विक्रय नहीं कर सकेगा ।



उपरोक्त शर्तों का उलंघन किये जाने पर यह अनुमति निरस्त की जा सकेगी। राजस्व निरीक्षक (व्यपर्तन) परासिया को निर्देश दिये जाते हैं कि, वे प्रश्नाधीन भूमि के भूःराजस्व के पुनः निर्धारण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।



आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पक्षकार सूचित हो।

~~अनुप्रवागीय दीर्घ~~  
परातिपा





11/2/14

(1)	.....
(2)	भावेदन के उपरियोग होने के लिए बदली जान्दे हैं
(3)	जो उपरियोग होना चाहिए सर्वत
(4)	सभी जाकड़ार उपरियोग जो लिखी गई हो रखा है। उनमें से कोई नहीं
(5)	प्रकरण के नाम व प्रतिलिपि अवस्था का बदला जाता है। प्रेषने की विधि
(6)	बाब में अधिग का भुगतान रिहे जाने वाली जाकड़ार होता है। स्टार्टर
(7)	प्रतिलिपि लिखा जाता है।
(8)	प्रतिलिपि दिया जाता है। इसकी दर्जा जाकड़ार की दर्जा

11/2/14  
11/2/14  
30  
प्रतिलिपि  
लिखा जाता है।  
प्रतिलिपि दिया जाता है।